रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003—19 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—19

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 9—नवम्बर 15, 2019 (कार्तिक 18, 1941)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 9—NOVEMBER 15, 2019 (KARTIKA 18, 1941)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	537
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1289
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	11
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	2799
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियो के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	5885
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	367
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	2085
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	537
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1289
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	11
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2799
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	5885
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	367
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	2085
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PARTI—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 2019

सं. 105-प्रेस/2019—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2019 के अवसर पर निम्नलिखित अफसर को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

(i) महानिरीक्षक तेकुंपुरथ प्रभाकरन सदानंदन, तटरक्षक पदक (4017-डी)

2. विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 4(iv) के अंतर्गत राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक (विशिष्ट सेवा) प्रदान किया जाता है।

पी. प्रवीण सिद्धार्थ
विशेष कार्य अधिकारी

सं.106-प्रेस/2019—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2019 के अवसर पर, उपमहानिरीक्षक योगेन्द्र ढाका (0420-डी) को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

उपमहानिरीक्षक योगेन्द्र ढाका (0420-डी) ने दिनांक 07 जनवरी, 1995 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की ।

2. भारतीय तटरक्षक पोत (आईसीजीएस) सुजय के कमान अफसर के रूप में अफसर ने घातक स्थिति से समुद्र अनुसंधान पोत (ओआरवी) सागर संपदा के बचाव के लिए काफी जोखिमपूर्ण अग्निशमन अभियान का संचालन किया।

3. दिनांक 15 मार्च, 2019 को आईसीजीएस सुजय को पारादीप से गोवा जाते समय, ओआरवी सागर संपदा के बचाव हेतु मोड़ा गया जोकि न्यू मंगलोर के पश्चिम में 40 समुद्री मील दूर भीषण आग लगने के कारण संकटग्रस्त था। भारतीय तटरक्षक पोत संकटग्रस्त पोत से 30 समुद्री मील की दूरी पर था और दिनांक 16 मार्च, 2019 को 0030 बजे संकटग्रस्त पोत तक पहुंचने के लिए अधिकतम चाल से अग्रसर हुआ। ओआरवी सागर संपदा ने आईसीजीएस सुजय को सूचित किया कि 03 डेक पर भीषण आग लगी थी जोकि आवासीय क्षेत्र था और उसमें 16 वैज्ञानिक सहित 46 कार्मिक सवार थे।

4. अंधेरी रात और अशांत समुद्र के कारण, आग लगे पोत तक पहुंचना खतरे से भरा हुआ था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, खतरनाक परिस्थितियों के बावजूद, उपमहानिरीक्षक योगेन्द्र ढाका ने बहादुरी से आईसीजीएस सुजय को संकटग्रस्त पोत से 50-80 मीटर नजदीक पहुंचाया और बाहरी अग्निशमन प्रणाली (ईएफएफ) का प्रयोग करके अग्निशमन कार्य प्रारंभ किया। बाहरी अग्निशमन प्रणाली में तेजी लाने के लिए, अंधेरे एवं अशांत समुद्र में संकटग्रस्त पोत पर सवार होने के उद्देश्य से आवश्यक उपस्करों के साथ पोत की नौका पर सवार अग्निशमन दल (एफएफ) को समुद्र में उतारा गया। समुद्र में तेज उफान के चलते नौका को ओआरवी सागर संपदा तक पहुंचने के लिए लगातार निर्देशित किया गया और अग्निशमन दल (एफएफ) 0115 बजे पोत पर आरोहत हुआ।

03 डेक पर 08 कंपार्टमेंट आग की लपटों की चपेट में थे और 02 अन्य डेक तक इनके फैलने का खतरा बना हुआ था जिसमें खतरनाक रसायनों से भरी प्रयोगशाला थी।

5. अग्निशमन दल (एफएफ) को दोनों डेक से रसायनों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश दिया गया। निरंतर ठंडक किए जाने एवं बाहरी अग्निशमन प्रणाली (ईएफएफ) के चलते तापमान काफी हद तक गिर गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए, अग्निशमन दल (एफएफ) का एक सदस्य फायर होज को पोत के मोखे में डालने के लिए पोत से नीचे उतारा गया। सभी संसाधनों से सुसज्जित 04 घंटे के निरंतर प्रयासों के पश्चात, आग पर काबू पाया जा सका। पानी के जमाव के कारण ओआरवी सागर संपदा खतरनाक रूप से झुक गया था। यह भांपते हुए कि पोत की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है सुमद्री नौका का उपयोग करते हुए आईसीजीएस सुजय से दो सबमर्शिबल पंप भेजे गए और पोत को संतुलित स्थिति में लाने के लिए पानी को निकाला गया। इस प्रकार ओआरवी सागर संपदा को अनहोनी से बचा लिया गया।

6. इससे पूर्व 20 सितंबर, 2018 को आईसीजीएस सुजय ने उपमहानिरीक्षक योगेन्द्र ढाका की कमान में ओडिशा तट पर चक्रवात डेई के दौरान संकटग्रस्त मछुवाही नौका को बचाया था।

7. अत्यधिक खतरे के समक्ष विषम परिस्थितियों में उपमहानिरीक्षक योगेन्द्र ढाका के त्वरित एवं वीरतापूर्ण प्रयासों से समुद्र में 16 वैज्ञानिकों सहित 46 बहुमूल्य प्राणों की रक्षा की जा सकी। उनका निःस्वार्थ साहस एवं दबाव के दौरान दृढ़ संकल्प वर्दीधारी सेवा की उच्चतम परंपरा को प्रदर्शित करता हैं। उपमहानिरीक्षक योगेन्द्र ढाका (0420-डी) ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

8. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है।

पी. प्रवीण सिद्धार्थ
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 107-प्रेस/2019—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2019 के अवसर पर, कमांडेंट अनुरूप सिंह (0620-जे) को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

कमांडेंट अनुरूप सिंह (0620-जे) ने दिनांक 27 दिसंबर, 2003 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की।

2. कमांडेंट अनुरूप सिंह (0620-जे) योग्य उड़ान अनुदेशक हैं और उन्हें एड्वान्स लाइट हेलीकॉप्टर(ए एल एच) ध्रुव पर 955 घंटे सहित 2350 घंटे उड़ान भरने का अनुभव है।

3. दिनांक 18 दिसंबर, 2018 को वैज़ाग के दक्षिण से 91 समुद्री मील (काकीनाड़ा से 21 समुद्री मील दक्षिण पूर्व) में स्थित ऑयल रिग अबान-II से 07 मछुआरों को बचाने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। फेथाई चक्रवात के कारण, मछुआरों ने अपनी पलटने वाली नौका को छोड़ा और ऑयल रिग में शरण मांगी। यह निर्णय लिया गया था कि हवाई मार्ग से बचाव का प्रयास किया जाएगा परंतु मौसम की खराब दशा के कारण अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी। अफसर ने खतरे का आकलन किया और भारतीय नौसेना एवं इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के साथ समन्वित रूप से विस्तृत योजना तैयार की। अफसर ने विमान प्रचालन हेतु मौसम संबंधी प्रतिकूलताओं की चरम सीमा में हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने की स्वेच्छा जताई। ऐसे प्रतिकूल परिवेश में अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए इसे सही तरीके से निष्पादित किया जाना आवश्यक था, इस दौरान बारंबार दौरे किए गए और एक अनजान ऑयल रिग में भी लैंडिग की गई, जहां समुद्र काफी उग्र था।

4. पहली किरण के साथ अफसर ने उड़ान भरी और घने बादलों वाले मौसम और चक्रवात से होते हुए लगभग 25 नॉट की तेज हवाओं का सामना करते हुए सीधे ही ऑयल रिग के लिए रवाना हुए, और अभियान में बने रहे। संबंधित समुद्री क्षेत्र में पहुंचने पर, उन्होनें अशांत समुद्री दशाओं में ऑयल रिग पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की, सबसे पहले 03 मछुआरों को आरोहित कर उन्हें भारतीय तटरक्षक स्टेशन काकीनाड़ा पहुंचाया गया। तत्पश्चात्, वे पुन: रिग की ओर लौटे और शेष 04 मछुआरों को आरोहित कराया। इस प्रकार सभी मछुआरों को बचाया गया और सफलतापूर्वक सुरक्षित स्थान पर लाया गया।

5. अफसर ने अत्यंत तनावपूर्ण परिस्थितियों में अनुकरणीय साहस, नि:स्वार्थ सेवा, कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया और इस प्रकार सेवा की उच्चतम पेशेवराना परंपराओं को बनाए रखा। कमांडेंट अनुरूप सिंह (0620-जे) ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, इनकी बहादुरी के कृत्य हेतु इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

6. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है।

पी. प्रवीण सिद्धार्थ
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 108-प्रेस/2019—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2019 के अवसर पर सहायक कमांडेंट उत्कर्ष शर्मा (1189-सी) को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

सहायक कमांडेंट उत्कर्ष शर्मा (1189-सी) ने दिनांक 20 जून, 2013 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की।

2. दिनांक 15 दिसंबर, 2018 को अफसर की कमान में भारतीय तटरक्षक पोत सी-423 को नील द्वीप से फंसे हुए यात्रियों को निकालने का निर्देश दिया था क्योंकि क्षेत्र में चक्रवात के कारण स्थानीय सरकार और निजी पोतों ने बचाव अभियान रोक दिया था। अफसर ने अभियान हेतु अपनी कमान के तहत 02 अंतर्रोधी नौकाओं (आईबी) को ले जाने का निर्देश दिया। चूंकि मौसम लगातार खराब होता जा रहा था, संक्रिया को बिना योजना एवं तैयारी के जल्द से जल्द शुरू किया जाना था। अफसर ने प्रासंगिक अशांत समुद्र और विपरीत मौसमी परिवेश के कारण यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित सभी कारकों पर विचार करते हुए सर्वोत्तम कार्य योजना का त्वरित रूप से निष्पादन किया। चूंकि पोर्ट ब्लेयर से नील द्वीप तक का समुद्र काफी अशांत स्थिति में था, नील द्वीप के घाट के साथ बड़ी भयानक स्थिति दिख रही थी क्योंकि वो असुरक्षित था और वहां सहायता के लिए कोई स्थानीय भारतीय तटरक्षक यूनिट उपलब्ध नहीं था। अफसर ने समय की कमी, स्थिति की गंभीरता और अन्य 02 अंतर्रोधी नौकाओं (आईबी) की क्षमता को भी ध्यान में रखते हुए अनेकों निर्णायक प्रयास किए जो समय पर पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह से निकलने में सहायक हुआ।

3. समुद्र की 5-6 दशा और 5 मीटर से अधिक के उफान के बावजूद, अफसर ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए दूरदर्शिता, असीम धैर्य का परिचय दिया और साहसिक प्रयासों से अपने पोत एवं अन्य 02 आईबी के साथ नील द्वीप से यात्रियों का सर्वप्रथम निष्क्रमण सुनिश्चित किया। सभी बाधाओं में निर्भीक रहते हुए, समुद्र की खराब स्थिति के बीच, अफसर ने बहादुरी एवं पेशेवराना ज़ज्बे से विभिन्न चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पोत का संचालन किया और पोत को नील बंदरगाह तक पहुंचाया। बिगड़ते हुए मौसम के कारण समय-सीमा का ध्यान रखते हुए, अफसर ने पोत पर 134 यात्रियों की बड़ी संख्या का आरोहरण करने का निर्णय लिया जोकि पोत की क्षमता से कहीं अधिक थी और उन्हें सुरक्षित पोर्ट ब्लेयर तक पहुंचाया। चूंकि द्वीप में अभी भी काफी यात्री फंसे हुए थे, अफसर ने परिवर्तनशील मौसम और समुद्री स्थितियों में अनेकों बार चक्कर लगाकर फंसे हुए यात्रियों को बचाया। अफसर ने दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए नील बंदरगाह से फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित निष्क्रमित करने में सफलता प्राप्त की।

4. उनके और उनके कार्मिकों की सुरक्षा में जोखिम उत्पन्न करने वाले विभिन्न खतरों के बावजूद इस चुनौतीपूर्ण मिशन का संचालन करने में अफसर ने बड़ी बहादुरी का प्रदर्शन किया और इस प्रकार सेवा की उच्चतम पेशेवराना परंपराओं को बनाए रखा जो सम्मान के हकदार हैं। सहायक कमांडेंट उत्कर्ष शर्मा (1189-सी) ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

5. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम (11) (i) के तहत तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणाम स्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है।

पी. प्रवीण सिद्धार्थ
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 109-प्रेस/2019—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2019 के अवसर पर सतीश, प्रधान अधिकारी (रेडार प्लॉटर), 02816-जेड को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

सतीश, प्रधान अधिकारी (रेडार प्लॉटर), 02816-जेड ने 27 जुलाई, 1992 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की थी।

2. 15 मार्च, 2019 को रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशन (आरओएस) न्यू मंगलोर के सूरतकल लाइट 35 से 247 की स्थिति में समुद्र अनुसंधान पोत (ओआरवी) सागर संपदा पोत पर आग लगने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। संकटग्रस्त पोत से 33 समुद्री मील की दूरी पर स्थित भारतीय तटरक्षक पोत, विक्रम को बचाव अभियान के लिए मोड़ दिया गया। पोत बड़ी तेजी से क्रियाशील हुआ और 16 मार्च, 2019 को 0020 बजे संकटग्रस्त पोत तक पहुंच गया।

3. घटनास्थल पर पहुंच कर, यह निर्णय लिया गया कि भारतीय तटरक्षक की टीम को संकटग्रस्त पोत पर तैनात किया जाएगा ताकि अग्निशमन संबंधी प्रयासों को तेज किया जा सके। प्रतिकूल दशाएं एवं रात का अंधेरा, बोर्डिंग पार्टी के अभियान की शुरुआत के लिए उपयुक्त नहीं था। हालांकि मास्टर चीफ बोसन मेंट के रूप में कार्यरत सतीश, बोर्डिंग टीम के प्रभारी एसओ के रूप में कार्य करने को स्वयमेव सहर्ष तैयार हो गए। एक योग्य वायु चालकदल गोताखोर के रूप में अधीनस्थ अधिकारी ने अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते हुए बोर्डिंग टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व संभाला। वे खतरनाक समुद्री लहरों के बीच रात में जेमिनी नौका की कमान बहादुरीपूर्वक संभालते हुए संकटग्रस्त पोत पर सवार हुए। मुख्य डेक से अग्निशमन दल का नेतृत्व करते हुए उन्होनें आग को काबू करने के लिए प्रभावी रूप से अग्निशमन ह्यूस को तैयार किया और तीन डेक से अनुसंधान कार्य के लिए एकत्र किए गए एथेनॉल जैसे ज्वलनशील रसायनों को निकाला जो डेक पर आग का प्रमुख कारण था। अधीनस्थ अधिकारी आगजनी से प्रभावित घटनास्थल पर प्रवेश करने वालों में से सबसे पहले थे, उन्होनें थर्मल इमेजिंग कैमेरा की मदद से आगजनी के वास्तविक स्थल की पहचान की। इसके पश्चात् ही अग्निशमन प्रयासों को आगजनी के वास्तविक स्थान पर केंद्रित किया जा सका और आग को फैलने से रोका जा सका। अधीनस्थ अधिकारी के साहसिक प्रयासों के फलस्वरूप 16 मार्च, 2019 को लगभग 0608 बजे सहजतापूर्वक आग पर काबू पाने में सफलता प्राप्त हुई।

4. बोर्डिंग पार्टी के प्रभारी अधीनस्थ अधिकारी के रूप में गंभीर खतरे को भांपते हुए सतीश ने अदम्य साहस एवं निःस्वार्थ भावना का प्रदर्शन करते हुए ओआरवी सागर संपदा पोत पर भीषण अग्निशमन अभियान का संचालन किया एवं पोत पर आगजनी से होने वाली संभावित हानि को रोकते हुए 46 बहुमूल्य प्राणों की रक्षा की।

5. निःस्वार्थ समर्पण, पेशेवराना जज्बे एवं राष्ट्र के प्रति एकनिष्ठ समर्पण के द्वारा सतीश, प्रधान अधिकारी (रेडार प्लॉटर), 02816-जेड ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

6. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है ।

पी. प्रवीण सिद्धार्थ
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 110-प्रेस/2019—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2019 के अवसर पर त्रीनाथ बेहरा, उत्तम अधिकारी (रेडियो), 03608-जेड को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

त्रीनाथ बेहरा, उत्तम अधिकारी (रेडियो), 03608-जेड ने 27 जनवरी, 1998 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की।

2. चक्रवात 'तितली' 11-12 अक्तूबर, 2018 के शुरुआती घंटों में दक्षिणी ओड़िशा तट से टकराया। चक्रवात 'फायलिन' और 'हुदहुद' के बाद यह तीसरा विनाशकारी तीव्रता वाला चक्रवात था। इस विपदा के दौरान गोपालपुर के संकटग्रस्त समुद्र से भारतीय तटरक्षक के प्रयासों के द्वारा 13 बहुमूल्य प्राणों को बचाया गया। भारतीय तटरक्षक के कार्मिकों के साहसिक एवं बहादुरी से भरे कारनामों को सिविल प्रशासन सहित समाज के विभिन्न वर्गों से वाहवाही मिली जिसका संपूर्ण श्रेय भारतीय तटरक्षक को जाता है। त्रिनाथ बेहरा को प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान का संचालन करने वाले बचाव दल के सदस्य के रूप में नामित किया गया था।

3. तूफानी बारिश एवं लगभग 130 किमी/घंटे से भी अधिक की गति से बहती तेज हवाओं के बीच अधीनस्थ अधिकारी ने तकनीकी पृष्ठभूमि से होते हुए भी अद्‌वितीय साहस एवं बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए रस्सियों का कुशलतापूर्वक प्रयोग कर संकटग्रस्त मछुवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। इसके अतिरिक्त, अचानक जलस्तर के बढ़ जाने से भारतीय तटरक्षक की जेमिनी के डगमगाने पर अधीनस्थ अधिकारी ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह नहीं की और भारी सूझबूझ का परिचय देते हुए स्फूर्ति और अदम्य साहस के साथ कार्य किया। वे पानी में कूद गए और रस्सी के एक सिरे को पकड़कर जेमिनी को स्थिर बनाए रखा, इस दौरान उन्होनें अपने दूसरे हाथ से धातु की छड़ पकड़ रखी थी और जेमिनी एवं उसके क्रू के कुल भार को दूसरे छोर से सहायता मिलने तक संभाले रखा। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्होनें प्रतिकूल दशाओं में कई बार तैरते हुए अपने साथी सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर वापस लाए और इस प्रकार जेमिनी एवं इनके क्रू को तेज बहाव में बहने से बचाया। उनका यह साहसिक कारनामा 06 तटरक्षक सहकर्मियों, 01 स्थानीय पुलिस कार्मिक एवं निष्क्रिय जेमिनी के साथ पोत के तटरक्षक परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने में निर्णायक साबित हुआ। इसके अलावा, अधीनस्थ अधिकारी ने भारतीय तटरक्षक के द्‌वारा गंजाम जिले के असीका ब्लॉक में चलाए जा रहे बाढ़ राहत अभियान के समन्वय कार्य में भी हितधारकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अनुकरणीय पेशेवराना कौशल का प्रदर्शन किया।

4. अधीनस्थ अधिकारी ने अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता, खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर रहे लोगों की सुरक्षा के प्रति निष्ठा की भावना का प्रदर्शन करते हुए अपने समकक्षों एवं कनिष्ठों के बीच पेशेवराना मानकों का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। कर्तव्य भावना से अभिभूत एवं सहायता के लिए बुलाए जाने पर किए गए बहादुरी भरे प्रयास एवं पेशेवराना सक्षमता को ध्यान में रखते हुए, त्रीनाथ बेहरा, उत्तम अधिकारी (रेडियो), 03608-जेड ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

5. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम (11) (i) के तहत तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणाम स्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है।

पी. प्रवीण सिद्धार्थ
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 111-प्रेस/2019—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2019 के अवसर पर निम्नलिखित अफसरों को सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

(i) महानिरीक्षक मनीष विशाल पाठक (0241-वी)

(ii) उपमहानिरीक्षक नीरज तिवारी (0269-एल)

2. सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(ii) के तहत तटरक्षक पदक (सराहनीय सेवा) प्रदान किया जाता है ।

पी. प्रवीण सिद्धार्थ
विशेष कार्य अधिकारी

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th August 2019

No. 105-Pres/2019—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2019 to award the President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service to the under mentioned officer:—

(i) Inspector General Thekkumpurath Prabhakaran Sadanandan, Tatrakshak Medal (4017-D).

2. The President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service award is made under Rule-4(iv) of the rules governing grant of the President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service.

P. PRAVEEN SIDDHARTH
Officer on Special Duty

No. 106-Pres/2019—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2019 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Deputy Inspector General Yoginder Dhaka (0420-D).

CITATION

Deputy Inspector General Yoginder Dhaka (0420-D) joined the Indian Coast Guard (ICG) on 07 January 1995.

2. The officer as Commanding Officer Indian Coast Guard Ship (ICGS) Sujay had undertaken an extremely risky firefighting operation to rescue Ocean Research Vessel (ORV) Sagar Sampada from a fatal situation.

3. On 15 March 2019 ICGS Sujay, whilst on passage from Paradip to Goa, was diverted to rescue ORV Sagar Sampada which was in distress due a major fire onboard, 40 nautical mile west of New Mangalore. The ICG ship was 30 nautical mile from the subject vessel and proceeded with max speed to reach the distressed vessel at 0030 hrs on 16 March 2019. ORV Sagar Sampada informed ICGS Sujay that there is major fire on 03 deck which is the accommodation area and there were 46 crew onboard including 16 scientists.

4. Due to the dark night and rough seas, approaching a vessel on fire was fraught with danger. Realising the criticality of the situation, inspite of perilous conditions, DIG Yoginder Dhaka bravely maneuvered ICGS Sujay 50-80 mtrs from subject vessel and commenced firefighting by using External Fire Fighting (EFF) System. In order to augment the EFF, ship's boat was lowered swiftly with Fire Fighting (FF) team and equipment to embark the distressed vessel, despite the darkness and rough seas. Due to heavy swell, boat was continuously guided to reach ORV Sagar Sampada and FF team embarked ship at 0115 hrs. The fire had engulfed 08 compartments on 03 deck and its spread to 02 deck which had the laboratory with hazardous chemicals was imminent.

5. The FF team was directed to evacuate chemicals from 02 decks to safe location. Sustained boundary cooling by FF team and EFF reduced temperature to great extent. Taking advantage of this opportunity, one member of FF team was lowered from ship side to insert the fire hose through scuttle of the ship. After sustained efforts for 04 hrs from all resources, the fire could be contained. ORV Sagar Sampada had listed by dangerously due to water accumulation. Realizing that stability of ship can be compromised, two submersible pumps were dispatched from ICGS Sujay using sea boat and water was pumped out to bring it in upright position. Thus ORV Sagar Sampada was saved from a precarious situation.

6. Previously on 20 September 2018, ICGS Sujay under the command of DIG Yoginder Dhaka had towed a distressed fishing boat during cyclone Daye off Odisha coast.

7. The swift and valorous efforts of DIG Yoginder Dhaka under adverse conditions in the face of extreme danger, could save 46 precious lives including 16 scientists at sea. His selfless courage and determined composure under pressure are keeping with the finest traditions of the uniform service. Deputy Inspector General Yoginder Dhaka (0420-D) has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

8. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

P. PRAVEEN SIDDHARTH
Officer on Special Duty

No. 107-Pres/2019—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2019 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Commandant Anurup Singh (0620J).

CITATION

Commandant Anurup Singh (0620-J) joined the Indian Coast Guard (ICG) on 27 December 2003.

2. Commandant Anurup Singh is a Qualified Flying Instructor and has flying experience of 2350 hrs to his credit including 955 hrs on Advanced Light Helicopter (ALH) Dhruv.

3. On 18 December 2018, a request to rescue 07 fishermen from Oil Rig Aban-II located 91 nautical miles south of Vizag (21 nautical miles south east of Kakinada) was received. Due to cyclone Phethai, fishermen had abandoned their capsizing boat and sought refuge on the Oil Rig. It was decided that an aerial rescue will be attempted but there was large uncertainty accompanying due to the prevailing extreme weather conditions. The officer carried out risk assessment and put together a detailed plan in coordination with Indian Navy and Indian Oil Corporation. The officer volunteered to fly the helicopter in marginal weather which was on the extremities of the aircraft operating envelope. The operation had to be executed precisely to ensure success in such adverse weather wherein multiple trips had to be undertaken and also entailed landing on an unfamiliar Oil Rig which was experiencing raging seas.

4. At first light, the officer got airborne and headed directly towards the Oil Rig braving the over cast weather and strong winds of about 25 knots caused by the cyclone, however the officer persisted with the mission. On reaching the area, he undertook a safe landing on the Oil Rig amidst rough seas, embarked 03 fishermen initially and landed them at ICG Station Kakinada. Thereafter, he again returned to the rig and embarked the remaining 04 fishermen. All the fishermen were thus rescued and successfully brought to safety.

5. The officer has displayed exemplary courage, selflessness, commitment to duty and determination in extremely stressful conditions thereby upholding the high traditions of professionalism in service. For his act of bravery, Commandant Anurup Singh (0620-J) has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

P. PRAVEEN SIDDHARTH
Officer on Special Duty

———————

No. 108-Pres/2019—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2019 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Assistant Commandant Utkersh Sharma (1189-C).

CITATION

Assistant Commandant Utkersh Sharma (1189-C) joined the Indian Coast Guard (ICG) on 20 June 2013.

2. On 15 December 2018 ICG Ship C-423 under the command of the officer was directed to evacuate stranded tourists from Neil Island as local government and private vessels had stopped operations due to cyclone in the area. The officer directed to take 02 Interceptor Boats (IBs) under his command for mission. As the weather was deteriorating further, the operations had to be commenced immediately with barely any time for planning and preparation. The officer swiftly planned out the best course of action by considering all factors pertaining to the safety of the tourists due to prevailing rough sea and adverse weather condition. While the seas enroute from Port Blair to Neill island were in a violent state, the more dangerous proposition was going alongside the wharf in Neill island as it was unprotected and there were no local ICG unit for assistance. The officer also taken number of decisive calls, keeping in mind the paucity of time and gravity of situation, capabilities of other 02 IBs, which led to timely cast off from Port Blair harbour.

3. Despite sea state 5-6 and swell rising more than 5 meters, the officer's through profound insight of the situation, sheer grit and brave efforts ensure that his ship along with the other 02 IBs were the first units to evacuate tourists from Neil island. Undeterred by all odds and amidst unfavorable sea condition the officer bravely and professionally carried out various challenging maneuvers and took the ship alongside Neil Harbour. Considering the paucity of time due to the deteriorating weather, the officer decided to embark an extraordinary figure of 134 tourists onboard, which was way beyond the ship's capacity and brought them to Port Blair safely. As more tourists were still stranded in the island, the officer undertook multiple trips in the volatile weather and sea conditions for tourist evacuation. The firm determination and outstanding courage demonstrated by the officer resulted in evacuation of tourists from Neil harbour.

4. The brave hearted approach to execute a challenging mission inspite of several dangers threatening him and his men's safety, is keeping in with the highest traditions of the service and is worthy of highest recognition. Assistant Commandant Utkersh Sharma (1189-C) has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

5. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

P. PRAVEEN SIDDHARTH
Officer on Special Duty

No. 109-Pres/2019—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2019 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Satish, Pradhan Adhikari (Radar Plotter), 02816-Z.

CITATION

Satish, Pradhan Adhikari (Radar Plotter), 02816-Z joined the Indian Coast Guard (ICG) on 27 July 1992.

2. On 15 March 2019 a fire was reported on board Ocean Research Vessel (ORV) Sagar Sampada in position 247 Suratkal Lt 35 by Remote Operating Station (ROS) New Mangalore. ICG Ship Vikram, 33 nautical mile from distressed vessel, was diverted for rescue operations. The ship acted swiftly and reached the distressed vessel at 0020 hrs on 16 March 2019.

3. On reaching the scene of action, it was decided that a ICG team had to be embarked on the stricken vessel to augment firefighting efforts. The prevailing conditions and dark night was unfavorable for launching a boarding party. Satish, though officiating as Master Chief Boatswainmate volunteered to go as SO-in-Charge of Boarding team. Being a qualified Air Crew Diver, the Subordinate officer (SO) led by example and took upon himself to ensure the safety of the boarding team. He bravely commandeered the gemini boat through the treacherous seas in the night and embarked the distressed vessel. He led team to fight the fire from main deck and could effectively rig up firemain hose to contain the fire and removed inflammable chemicals like ethanol stored for research work from 03 deck, which was the actual deck on fire. The SO was the first one to enter the scene of fire and locate the actual seat of fire with the help of Thermal Imaging Camera. Thereafter the firefighting efforts could be focused onto the seat of fire and thus the further spread of fire could be contained. The brave efforts by the SO facilitated the fire being brought under control at approximately 0608 hrs on 16 March 2019.

4. Satish, as SO-in-Charge boarding party displayed unparalleled courage and true selflessness in face of grave danger to undertake major fire fighting onboard ORV Sagar Sampada and averted loss of precious 46 lives and ship due to fire at sea.

5. In recognition to the selfless dedication, professionalism, act of bringing singular credit to nation, Satish, Pradhan Adhikari (Radar Plotter), 02816-Z has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

P. PRAVEEN SIDDHARTH
Officer on Special Duty

No. 110-Pres/2019—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2019 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Trinatha Behera, Uttam Adhikari (Radio), 03608-Z.

CITATION

Trinatha Behera, Uttam Adhikari (Radio), 03608-Z joined the Indian Coast Guard (ICG) on 27 January 1998.

2. Cyclone 'Titli' which affected the Southern Odisha coast during the early hours of 11-12 October 2018, the 3rd devastating in magnitude post cyclones 'Phaillin' and 'Hudhud'. The ICG efforts during the eventualities were w.r.t. saving 13 precious lives at sea in distress at Gopalpur. The acts of courage/bravery by ICG persons have won accolades from various quarters including the Civil Administration thereby bringing singular credit to the ICG. Trinatha Behera was nominated as part of rescue team for the conduct of relief operation in the affected areas.

3. The Subordinate Officer (SO) amidst torrential rains and wind speed exceeding approximately 130 km/h, displayed extreme bravery and guided the distressed fishermen to safety by proficient handling of ropes even being from the technical background. Furthermore, during toppling of the ICG Gemini due to sudden surge of water current, the SO had shown swift presence of mind and sheer purposive courage with disregard to his personal safety. He jumped in the water and kept the Gemini stable by holding one end of the rope, meanwhile holding a metal bar with another hand and withstood total load of the Gemini and its crew till the time support from others arrived. With disregard to his personal safety, he also swam multiple times in extreme difficult conditions to bring his teammates back to safety, thereby preventing the gemini and its crew from getting washed away in very heavy current. His gallant act was instrumental in saving lives of 06 ICG teammates, 01 local police personnel and the disabled Gemini with ICG assets onboard. Additionally, the SO displayed exemplary

professionalism to tactfully coordinate the ICG flood relief operation at Asika Block of Ganjam District in tandem with other stakeholders.

4. The SO has displayed exemplary leadership, concern for others who facing life threatening situation and has set a high benchmark in professional standards amongst peer group and juniors. Considering his overwhelming sense of duty, Gallant efforts at the time of call and professional competence, Trinatha Behera, Uttam Adhikari (Radio), 03608-Z has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

5. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

P. PRAVEEN SIDDHARTH
Officer on Special Duty

No. 111-Pres/2019—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2019 to award the Tatrakshak Medal for Meritorious Service to the under mentioned officers:—

(i) Inspector General Maneesh Vishal Pathak (0241-V)

(ii) Deputy Inspector General Neeraj Tiwari (0269-L)

2. The Tatrakshak Medal (Meritorious Service) award is made under 11(ii) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal for Meritorious Service.

P. PRAVEEN SIDDHARTH
Officer on Special Duty

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

BANSHI DHAR DUBEY Digitally signed by BANSHI DHAR DUBEY
Date: 2019.11.09 11:24:28 +05'30'